भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3658

सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक)

ऑन लाइन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा

3658. **श्री राजीव प्रताप रूडी**;

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स के लिए प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा योजना को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है, जैसा कि घोषणा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, साथ ही ऐप-आधारित डिलीवरी, राइड-हेलिंग और फ्रीलांस डिजिटल सेवाओं से जुड़े श्रमिकों का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत एकीकृत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो कितने गिग वर्कर्स को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा उन गिग वर्कर्स को कोई वित्तीय या बीमा सहायता प्रदान की गई है, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान या उसके बाद आजीविका का नुकसान, विकलांगता या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा; और

(ङ) क्या सरकार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): पहली बार, 'गिग वर्कर्स' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' की परिभाषा और उससे संबंधित प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रदान किए गए हैं जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान है।

जारी..2/-

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों, कृषि कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल शुरू किया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न है।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी बजट घोषणा में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग कामगारों (प्लेटफॉर्म वर्कर्स) के कल्याण के लिए कई प्रमुख उपायों की घोषणा की है, जिसमें ई-श्रम पोर्टल पर उनका पंजीकरण, पहचान पत्र जारी करना और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी- पीएमजेएवाई) के तहत स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करना शामिल है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अनुरूप, ई-श्रम पर आकस्मिक मृत्यु/निःशक्तता दावों को अनुग्रह राशि के माध्यम से संसाधित करने के लिए दिशानिर्देश दिनांक 24.08.2023 को जारी किए गए थे।दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 26.08.2021 से 31.03.2022 की अवधि के बीच ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगार और उक्त अवधि के दौरान दुर्घटना के शिकार हुए कामगार, आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण रूप से सही न होने वाली निःशक्तता की स्थिति में दो लाख रुपये और आंशिक रूप से सही न होने वाली निःशक्तता की स्थिति में एक लाख रुपये के पात्र होंगे। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के प्रयोजनों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान है।

* *****

अनुबंध

दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3658 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्लेटफार्म कामगारों का राज्यवार ब्यौरा (06.08.2025 तक की स्थिति अनुसार)

क्र .सं .	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र	ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	109
2.	आंध्र प्रदेश	26,501
3.	अरुणाचल प्रदेश	369
4.	असम	7,029
5.	बिहार	15,360
6.	चंडीगढ़	419
7.	छत्तीसगढ	2,569
8.	दिल्ली	10,310
9.	गोवा	670
10.	गुजरात	17,279
11.	हरियाणा	6,990
12.	हिमाचल प्रदेश	773
13.	जम्मू और कश्मीर	1,661
14.	झारखंड	5,850
15.	कर्नाटक	12,308
16.	केरल	5,646
17.	लद्दाख	21
18.	लक्षद्वीप	3
19.	मध्य प्रदेश	13,040
20.	महाराष्ट्र	78,207
21.	मणिपुर	457
22.	मेघालय	837
23.	मिजोरम	98
24.	नागालैंड	369
25.	ओडिशा	4,176
26.	पुदुचेरी	236
27.	पंजाब	4,735
28.	राजस्थान	15,605
29.	सिक्किम	217
30.	तमिलनाडु	16,794
31.	तेलंगाना	12,323
32.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	63
33.	त्रिपुरा	1,147
34.	उत्तर प्रदेश	21,812
35.	उत्तराखंड	2,141
36.	पश्चिम बंगाल	9,111

*****